न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

निर्वाचन अपील संख्या –08/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
अशोक पुत्र उम्मेदाराम जाति राव निवासी पालड़ी व्यास, वार्ड नम्बर–1, ग्राम पंचायत बलाया तहसील मूण्डवा जिला नागौर		निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।

निर्णय दिनांक : 09 जनवरी, 2020

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 21 राजस्थान पंचायत राज(निर्वाचन) नियम 1994 के अन्तर्गत पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को सम्मन मय अपील की प्रति भिजवाते हुऐ टिप्पणी तथा संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट व उसके परिवारजन तथा पूर्वज ग्राम पंचायत बलाया के वार्ड नम्बर 1 के निवासी है, जहां उनका स्थाई निवास स्थान है। गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर अपीलान्ट अन्यत्र मजदूरी करने के लिए जाते है। मगर गांव में अपने परिवारजनों की देखभाल करने व उनके साथ रहने के लिए आते जाते रहते है।

ग्राम पचांयत बलाया की मतदाता सूची, विधान सभा व लोक सभा की मतदाता सूची में अपीलान्ट का नाम मतदाता के रूप में वर्षों से आज तक रहता आया है तथा ग्राम पंचायत बलाया के निवासी होने के कारण राशनकार्ड, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि भी बने हुये है। अपीलान्ट ग्राम **पालड़ीयावास ग्राम पंचायत बलाया** के निवासी है। फिर भी पंचायत समिति मूण्डवा के निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी ने अपीलान्ट व उसके परिवारजनों का नाम मतदाता सूची से एक संयुक्त आदेश पारित करके हटा दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का अवलोकन करने पर दिनांक 04.01.2020 को हुई।

रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत बलाया के वार्ड नम्बर 1 की मतदाता सूची के रूप में कम संख्या 105 से हटाने के पूर्व उनके निवास स्थान के संबंध में कोई जॉच नहीं की न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया।

रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का नाम मतदाता सूची से हटाने के पूर्व राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 14(i) व नियम 20 की पालना में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और केवल मात्र ग्राम पंचायत बलाया के सरपंच पद के उम्मीदवार विशेष की मदद करने के लिए बिना किसी उचित कारण व ऐतराज के अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत बलाया के वार्ड संख्या 1 की मतदाता सूची से हटाने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो स्पष्ट रूप से नियमों के विरूद्ध होने से शून्य व अवैध है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा नाम हटाने के संयुक्त आदेश की नकल मांगने के बावजूद भी नकल उपलब्ध नहीं कराने की वजह से मतदाता सूची की प्रति अपील के साथ पेश की गई है, जिसमें अपीलान्ट का नाम डिलिट करने के आदेश का उल्लेख होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर निर्वाचन व पंजीकरण अधिकारी पंचायत समिति मूण्डवा द्वारा मतदाता सूची से अपीलान्ट का नाम हटाने

कलक्टर, नागौर

का आदेश अपास्त करने एवं अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत बलाया की वार्ड संख्या 1 की मतदाता सूची में जोड़े जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहायक कलक्टर मु0), पंचायत समिति मूण्डवा ने निम्नानुसार बिन्दूवार टिप्पणी भिजवाई है–

1. अपीलांट ने अपना निवास स्थान ग्राम पंचायत बलाया का वार्ड नम्बर 1 का निवासी होना बताया है व यहां के स्थायी निवास का स्थान लिखा गया है एंव गांवों में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर अन्यत्र मजदूर हेतु बाहर जाना लिखा है। उक्त में अपीलांट स्वंय यह दर्शा रहा है कि अधिकतर समय मजदूरी हेतु गांव पालडी व्यासा के वार्ड नम्बर 1 में नहीं रहते है।
2. यह सही है कि अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत बलाया की लोकसभा/विधानसभा की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज है तथा अपीलांट के दस्तावेज वगैराह भी पालडी व्यासा के बने हुए है लेकिन दिनांक 18.12.2019 को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई जिसमें ग्राम मुन्दियाड की सरहद में स्थित ढाणियां जो राजस्व ग्राम मुन्दियाड में स्थित है एंव उक्त ढाणियों में निवास करने वाले मतदाताओं के नाम पालडी व्यासा में स्थित होने पर आपत्ति प्राप्त हुई। उक्त आपत्ति की जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांकः पंआचु/2019/2096 दिनांक 18.12.2019 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मूण्डवा को भेजा गया। इसी प्रकार एक और परिवाद दिनांक 27.12.2019 को प्राप्त हुआ जिसको भी जांच हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मूण्डवा को भेजा गया। जिस पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मूण्डवा ने पटवारी हल्का बलाया, पटवारी हल्का मुन्दियाड व निरीक्षक भू–अभिलेख खरनाल की संयुक्त टीम बनाकर परिवादों में दर्ज तथ्यों की तथ्यात्मक व मौके के अनुसार वस्तुस्थिति की जांच करवाई गई। टीम की जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का मकान ग्राम पालडी व्यासा ग्राम पंचायत बलाया की सरहद में स्थित नहीं होकर राजस्व ग्राम मुन्दियाड की सीमा में स्थित होना जांच में पाया गया। उपरोक्त टीम ने मौके पर जाकर जांच कार्य किया गया। उक्त जांच के समय उक्त टीम ने ढाणियों में जाकर प्रत्येक घर पर उपस्थित होकर जांच कार्य किया। अपीलांट का कथन असत्य है।
3. अपीलांट ने अवगत कराया कि बिना जांच के ग्राम पंचायत बलाया के वार्ड नम्बर 1 में क्रम संख्या 105 से नाम हटा दिया गया, के संबंध में निवेदन है कि पैरा नम्बर 2 में वर्णित अनुसार विस्तृत जांच कार्य करवाया जाकर अपीलांट का नाम ग्राम पालडी व्यासा से हटाया गया। अपीलांट का आवासीय मकान ग्राम मुन्दियाड में होने से तथा अपीलांट का निवास मुन्दियाड की सरहद में स्थित अपने मकान में होने पर उक्त मकान की राजस्व ग्राम की सीमा मुन्दियाड होने से अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत मुन्दियाड में स्थानान्तरित किया गया, जहां अपीलांट का निवास है। अतः उक्त में अपीलांट का कथन असत्य है।
4. अपीलांट का नाम गांव ग्राम पालडी व्यासा से हटाये जाने से पूर्व पैरा नम्बर 2 के अनुसार विस्तृत जांच करवाई जाकर अपीलांट का नाम स्थानान्तरित किया गया। जिससे अपीलांट का कथन असत्य है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली पंचायत समिति मूण्डवा ग्राम पंचायत बलाया वार्ड संख्या 1 में क्रम संख्या 105 पर अपीलांट का नाम डिलीट किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलान्ट ग्राम पालड़ी व्यास ग्राम पंचायत बलाया के वार्ड नम्बर 1 के निवासी है, जहां उनका स्थाई निवास स्थान है। गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर अपीलान्ट अन्यत्र मजदूरी करने के लिए जाते है। मगर गांव में अपने परिवारजनों की देखभाल करने व उनके साथ रहने के लिए आते जाते रहते है। ग्राम पंचायत बलाया की मतदाता सूची, विधान सभा व लोक सभा की मतदाता सूची में अपीलान्ट का नाम मतदाता के रूप में वर्षो से आज तक रहता आया है तथा ग्राम पंचायत बलाया के निवासी होने के कारण राशनकार्ड,

आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि भी बने हुये है। फिर भी पंचायत समिति मूण्डवा के निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी ने अपीलान्ट व उसके परिवारजनों का नाम मतदाता सूची से एक संयुक्त आदेश पारित करके अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही हटा दिया जाना बताते हुए नाम पुनः जोडने का निवेदन किया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहायक कलक्टर मु0) पंचायत समिति मूण्डवा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार ग्राम मुन्दियाड की सरहद में स्थित ढाणियों में निवास करने वाले मतदाताओं के नाम ग्राम पालडी व्यासा में स्थित होने पर आपत्ति एंव इसी प्रकार का एक परिवाद प्राप्त होने पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मूण्डवा ने पटवारी हल्का बलाया, मुन्दियाड व निरीक्षक भू–अभिलेख खरनाल की संयुक्त टीम बनाकर परिवादों में दर्ज तथ्यों की मौके अनुसार वस्तुस्थिति की जांच करवाई। टीम की जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का मकान ग्राम पालडी व्यासा ग्राम पंचायत बलाया की सरहद में स्थित नहीं होकर राजस्व ग्राम मुन्दियाड की सीमा में स्थित होना जांच में पाया गया। टीम ने मौके पर ढाणियों में जाकर प्रत्येक घर पर उपस्थित होकर जांच कार्य किया। इस प्रकार अपीलांट का आवासीय मकान राजस्व ग्राम मुन्दियाड में होने से तथा अपीलांट का निवास मुन्दियाड की सरहद में स्थित अपने मकान में होने पर तथा उक्त मकान की राजस्व ग्राम सीमा मुन्दियाड होने से अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत मुन्दियाड में स्थानान्तरित किया गया है।

किसी भी व्यक्ति का नाम चुनाव मतदाता सूची से हटाने के संबंध में शिकायत होने पर शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन करना होता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट का मतदाता सूची से हटाने के संबंध में निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं है। शिकायत प्रार्थना पत्र पर जॉच कर एक साथ कई व्यक्तियों का नाम चुनाव मतदाता सूची से हटाने की कार्यवाही की गई है, जो कतई विधि अनुरूप नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट का नाम पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली पंचायत समिति मूण्डवा ग्राम पंचायत बलाया वार्ड संख्या 1 में क्रम संख्या 105 पर से डिलीट करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 14 एंव 20 के प्रावधानो के तहत् अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उक्त नियमों की पालना किये बिना अपीलांट का नाम मतदाता सूची से हटाया जाना विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। रेस्पोडेन्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहायक कलक्टर मु0), नागौर को अपीलांट का नाम पुनः पुर्वानुसार मतदाता सूची में अविलम्ब जोडने का आदेश दिया जाता है। रेस्पोडेन्ट को उनका मूल रिकॉर्ड भिजवाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

21/1/2020

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 17:09:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: